UPBN010004082026

न्यायालय– जनपद न्यायाधीश, बदायूँ।

सिविल प्रकीर्ण वाद (T.A.) संख्या–07/2026

जय प्रकाश बनाम रोशन लाल आदि

13–03–2026

यह स्थानांतरण प्रार्थना–पत्र पेश हुआ। पुकार पर पक्षगण के विद्वान अधिवक्ता उपस्थित हैं।

सुना गया।

यह स्थानांतरण प्रार्थना–पत्र मूलवाद संख्या–60/2007 जय प्रकाश बनाम रोशन लाल आदि को न्यायालय सिविल जज (जू०डि०), सहसवान, जनपद–बदायूँ से अन्य सक्षम न्यायालय को स्थानांतरित करने की प्रार्थना के साथ इन आधारों पर प्रस्तुत किया गया है कि प्रतिवादी सरेआम कह रहा है कि उनकी न्यायालय में अच्छी पकड़ है और वह मुकदमा झूठ की बुनियाद पर जीत लेगा, प्रतिवादी के हौसले बुलंद होने के कारण प्रार्थी के मन में निष्पक्ष निर्णय व न्याय पाने की आशा काफी कम हो गयी है, प्रतिवादी को न्यायालय के पेशकार से कई बार बड़ी गहनता से बात करते देखा गया है। इस कारण आवेदक को उक्त न्यायालय से न्याय की आशा नहीं रह गयी है। समर्थन में आवेदक का शपथ–पत्र प्रस्तुत किया गया है।

विपक्षी की ओर से आपत्ति 12 ख संक्षेप में इन आधारों पर प्रस्तुत की गयी है कि स्थानांतरण प्रार्थना–पत्र के आक्षेप झूठे व मनगढ़ंत तथ्यों पर आधारित हैं, आपत्तिकर्तागण का मुकदमा वाद संख्या–30/2008 रोशनलाल बनाम जय प्रकाश आदि तथा वाद संख्या–60/2007 जय प्रकाश बनाम रोशन लाल आदि निर्णय की स्टेज पर हैं और मुकदमा तय न होने देने के लिए द्वेष भावना से प्रेरित होकर जानबूझकर देरी करने के इरादे से यह स्थानांतरण प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया गया है, रोशन एवं रमेश के हक में रजिस्टर्ड वसीयत हुई है और उनके आधार पर जमीन में नाम दर्ज हो चुका है। जय प्रकाश के हक में रजिस्टर्ड वसीयत नहीं है और राजस्व न्यायालयों से जय प्रकाश को कोई भी अनुतोष नहीं मिला है, सहसवान न्यायालय में मुकदमा तय होने से आवेदक को कोई हानि नहीं है, जबकि आपत्तिकर्ता को बदायूँ आना कष्टदायक रहेगा। अतः स्थानांतरण प्रार्थना–पत्र निरस्त किए जाने योग्य है।

पीठासीन अधिकारी **अपर सिविल जज (जू०डि०)** सहसवान की आख्या दिनांकित–10–02–2026 प्राप्त हुई है, जिसमें उनके द्वारा प्रश्नगत मूलवाद संख्या–60/2007 जय प्रकाश बनाम रोशन लाल की पत्रावली को अपने न्यायालय में लंबित होना उल्लिखित किया गया है।

Digitally signed by VIVEK SANGAL
Date: 2026.03.13 16:56:15 UTC
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

संबंधित लिपिक की आख्यानुसार भी (मोबाइल द्वारा ई०कोर्ट ऐप में देखने पर) उक्त मूलवाद संख्या–60/2007 की पत्रावली को न्यायालय अपर सिविल जज (जू०डि०),सहसवान, बदायूँ में लंबित होना उल्लिखित है।

स्थानांतरण प्रार्थना–पत्र पर सुनवाई के दौरान विपक्षीगण के विद्वान अधिवक्ता ने यह स्वीकार किया है कि सहसवान न्यायालय में मुकदमा तय होने से आवेदक को कोई हानि नहीं है तथा मुकदमा बदायूँ ट्रांसफर होने से विपक्षीगण को कष्ट होने की पूर्ण संभावना है। आवेदक, मात्र न्यायालय अपर सिविल जज (जू०डि०), सहसवान, बदायूं के न्यायालय से अपना मुकदमा अंतरित कराना चाहता है और विपक्षीगण को भी उक्त न्यायालय से उक्त मुकदमा बदायूँ अंतरित न होकर सहसवान में ही स्थित न्यायालय सिविल जज (जू०डि०) सहसवान, बदायूँ में अंतरित होने पर कोई आपत्ति नहीं है। यद्यपि स्थानांतरण प्रार्थना –पत्र में जो कथन किए गए हैं उनके संबंध में कोई भी पुष्टिकारक सामग्री अथवा विपक्षीगण के तथाकथित आचरण व पेशकार से गहनता से बात करने आदि के संबंध में किसी का कोई शपथ –पत्र आदि प्रस्तुत नहीं किया गया है। इसके अतिरिक्त मात्र तथाकथित रूप से प्रतिवादी द्वारा न्यायालय के पेशकार से बात करने के आधार पर आशंका व्यक्त की गयी है, पीठासीन अधिकारी के आचरण व सत्यनिष्ठा के विरूद्ध कोई आक्षेप नहीं किए गए हैं तथापि न्याय का भी यह सिद्धांत है कि ***न्याय न केवल होना चाहिए, बल्कि होता हुआ प्रदर्शित भी होना चाहिए*** । ऐसे में प्रश्नगत वाद को अन्य सक्षम न्यायालय में स्थानांतरित किए जाने से न्याय के उद्देश्यों की पूर्ति हो सकेगी। तदैव स्थानांतरण प्रार्थना–पत्र में किए गए आक्षेपों एवं व्यक्त की गयी आशंकाओं के गुण –दोष पर बिना कोई विचार किए, स्थानांतरण प्रार्थना–पत्र स्वीकार किए जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

स्थानांतरण प्रार्थना–पत्र 3क स्वीकार किया जाता है। उपरोक्त वर्णित वाद मूलवाद 60/2007 जय प्रकाश बनाम रोशन लाल आदि की पत्रावली न्यायालय अपर सिविल जज (जू०डि०), सहसवान, जनपद–बदायूँ से वापस लेकर विधिनुरूप निस्तारण हेतु न्यायालय सिविल जज (जू०डि०),सहसवान, बदायूँ को स्थानांतरित किया जाता है।

संबंधित न्यायालयों को तद्नुरूप सूचित किया जाये। यह प्रकीर्ण वाद तद्नुरूप अंतिम रूप से निस्तारित किया जाता है।

इस पत्रावली को नियमानुसार संविलित/संचित किया जाये।

दिनांक 13–03–2026

(विवेक संगल)
जनपद न्यायाधीश,
बदायूं।
JOCode–UP06516

संजीव कुमार